

अति महत्वपूर्ण

संख्या- 1420 /सैतालीस-का-5-2025-(1838120)

प्रेषक,

एस०पी० गोयल

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उ०प्र० शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।

कार्मिक अनुभाग-5

लखनऊ : 06-01-2026

विषय: मानव सम्पदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज कराया जाना।

महोदय/ महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 26/2025/865/सैतालीस-का-5-2025 दिनांक 24 नवम्बर, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से मानव सम्पदा पोर्टल पर दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।

2 - उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जिन कार्मिकों द्वारा नियमानुसार पोर्टल पर अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण/ सूचना दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक अपलोड कर दी जाएंगी, उनको ही माह जनवरी, 2026 का देय वेतन फरवरी, 2026 में भुगतान किए जाने की कार्यवाही सम्बन्धित विभाग के नियन्त्रक प्राधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी द्वारा की जाएगी।

3- कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(एस०पी० गोयल)

मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशेष कार्याधिकारी, मा० राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, विधानसभा/ विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धक अकादमी, अलीगंज, लखनऊ।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

7. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. प्रभारी, आई०टी० प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश सचिवालय को इस आशय से प्रेषित कि इसे ई-ऑफिस डैशबोर्ड पर प्रदर्शित कराएं।
13. राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, लखनऊ को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था कराने हेतु।
14. श्री ए०के० रावत, निदेशक(आई०टी०), एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था कराने हेतु।
15. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(एम० देवराज)
प्रमुख सचिव।